

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ४ (157) निकाशि/निः/07-08/413।

दिनांक: ७/१०/१३

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार अकादमी सत्र 2013-14 से निम्न महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है।

पत्रांक	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	संबंधित विषय / संकाय
157	आदर्श महाविद्यालय, आंधी, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	संचालित विषय /

- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विश्वविद्यालय के प्रकरण में वी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय / विषयवार सीटों का आवटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तथ संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि लंगतरण अवश्य करवाया जायेगा हाले अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय / नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निरीकरण करवाया जायेगा।
- संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अधीक्षणिक स्टाफ की प्रियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का होगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राति को प्रत्येक वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित रागायाचि में जमा करायेगी।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन०एस०एस०/एन०सी०सी०/रेवरिंग एवं रेजरिंग (स्कॉलर/गाईड) में से किसी भी एक सहशीक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन०एस०एस०, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित 15 अक्टूबर, 2013 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय सम्बन्धी प्रवेश नीति 2013-14 तथा बाहर में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- निजी संस्था, मां० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संस्था, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सचिव, सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शास्त्रा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित एवं वर्ती।

PRINCIPAL
1977-1981

(M)
संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएँ)